

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/5021-5025 दिनांक : 21/07/2026

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जयपुर, जोधपुर।
3. समस्त महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

विषय:-नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।

महोदय,

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का उपयोग स्वतंत्र व निर्भीक होकर कर सके। इस हेतु राज्य की कानून एवं व्यवस्था मशीनरी को चुनाव संबंधित अपराधों की रोकथाम व नियन्त्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने की महती आवश्यकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K व 243ZA द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आयोग ने समय-समय पर नगरपालिकाओं व पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। इन समस्त निर्देशों को संकलित करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3004 दिनांक 21.08.2019 एवं आदेश क्रमांक 980 दिनांक 24.01.2026 को अधिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने की दृष्टि से आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों से यह अपेक्षा करता है कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विशेष तौर पर निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :

- 1.1 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर चुनाव के दौरान आचार संहिता के पालन व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया जावे।

- 1.2 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संवेदनशील (Vulnerable) एवं क्रिटीकल मतदान केन्द्रों की पहचान जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी के परामर्श से तैयार करें-

- संवेदनशील मतदान केन्द्र में ऐसे क्षेत्रों के मतदान केन्द्र आएंगे, जहाँ कमजोर वर्गों व मतदाताओं को मतदान देने से रोके जाने की संभावना हो। ऐसे भय व प्रताड़ना से ग्रस्त क्षेत्रों में Vulnerable परिवार और मतदाताओं की पहचान की जाए एवं जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

- **क्रिटीकल मतदान केन्द्र** में ऐसे मतदान केन्द्रों को शामिल किया जाए, जिनमें—
 - (अ) जहाँ गत आम चुनाव में 90% से अधिक मतदान हुआ हो और 75% से अधिक मत किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये हों,
 - (ब) गत आम चुनावों में हिंसा, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग आदि की घटनाएँ हुई हो अथवा गड़बड़ी के कारण पुनर्मतदान हुआ हो,
 - (स) जहाँ पर धार्मिक, जातिगत अथवा आर्थिक-सामाजिक असमानता के आधार पर हिंसा/गड़बड़ी होने की संभावना हो
 - (द) जहाँ बड़ी संख्या में आदतन अपराधी/असामाजिक तत्व रहते हों

ऐसे संवेदनशील (Vulnerable) एवं क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में पूर्व में घटी घटनाओं तथा ऐसी घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों का गहन विश्लेषण कर ऐसी रणनीति तैयार कर अमल में लाई जावे कि इन क्षेत्रों में चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न हों।

- 1.3 निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं किए जाएं।
- 1.4 चुनाव कार्यक्रम के घोषित होते ही आग्नेय शस्त्रों एवं धारदार हथियारों को धारण कर आने जाने को प्रतिबंधित किया जाए।
- 1.5 चुनाव घोषणा होते ही असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाकर उनकी गतिविधियों संबंधी नियमित सूचना की व्यवस्था की जावे। हिस्ट्री शीटर व आदतन अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया जावे व पुलिस द्वारा नियमानुसार उनकी गतिविधियां नियन्त्रित की जावे और जहां भी आवश्यक समझा जाए बिना विलम्ब कानूनी कार्यवाही की जावे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हों।
- 1.6 मतदान दिवस पर ट्रकों, लारियों तथा अन्य यातायात के साधनों को चुनाव क्षेत्र में नियंत्रित किया जाए।
- 1.7 उन क्षेत्रों में, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्र तथा गोला बारूद बनाने, बेचने या उपयोग में लेने की संभावनाएं हों, अभियान चलाया जाए व तत्संबंधी प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इस संबंध में की गई कार्यवाही का उल्लेख LOR में यथास्थान किया जावे।
- 1.8 राज्य के कई क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों व अन्य कमजोर वर्गों को स्वतंत्र व निर्भीक होकर मतदान नहीं करने दिए जाने की घटनाएं पूर्व के कई चुनावों में सामने आई हैं तथा यह भी देखा गया है कि कई व्यक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत एक से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। ऐसे क्षेत्रों व व्यक्तियों को विशेष रूप से चिन्हित कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जावे ताकि चुनाव हेतु भयमुक्त वातावरण तैयार हो सके।
- 1.9 मतदान समाप्ति से 48 घण्टों से पूर्व से तथा मतगणना दिवस को शराब के उपयोग एवं बिक्री एवं वितरण को प्रतिबंधित किया जाए।
- 1.10 मतदान की घोषण के पश्चात नामनिर्देशन पत्र वापिस लिये जाने की तिथि से ही समस्त वाहनों की जाँच के लिए अभियान चलाया जाए साथ ही मतदान दिवस के चार दिन पूर्व से उक्त अभियान को और अधिक सघन कर दिया जाये ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव क्षेत्रों में हथियार, गोला-बारूद, मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध धन के परिवहन को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।
- 1.11 चुनाव रैली में तीन से अधिक वाहनों को निकलने की अनुमति नहीं दी जाए तथा यदि अधिक वाहनों के साथ कोई चुनाव रैली निकाली जाती है तो उसे रोका जाए।
- 1.12 निर्वाचन के दौरान चुनाव कर्तव्यों हेतु नियुक्त किए गए कार्मिकों के साथ यदि दुर्यवहार किया जाता है अथवा उन्हें धमकी दी जाती है, जिससे चुनाव प्रक्रिया बाधित

होने के साथ निर्वाचन कर्तव्यों हेतु नियुक्त कार्मिकों के आत्मविश्वास में कमी आती है तो उनके विरुद्ध राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया जाये। आयोग ऐसी घटनाओं को गम्भीरता से लेता है। अतः निर्वाचन के दौरान ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे। यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरन्त प्रभावी कार्यवाही कर आयोग को अवगत करायेंगे।

- 1.13 अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र जमा कराये जाने के संबंध में चुनाव के दौरान एक जॉच समिति (screening committee) गठित की जायेगी, जो जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक से मिलकर बनेगी तथा महानगर क्षेत्र में पुलिस आयुक्त एवं उपायुक्त से मिलकर बनेगी। जॉच कमेटी द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र जमा करने संबंधी प्रकरण कमेटी के समक्ष रखे जाकर गुणावगुण के आधार पर चिन्हित अनुज्ञापत्र धारियों के अनुज्ञापत्र जमा कराने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा—

- i) जो जमानत पर छूटे हुए हों,
- ii) जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही हो, एवं
- iii) जो किसी निर्वाचन के दौरान या अन्य किसी समय दंगा-फसाद में सम्मिलित रहे हों।
- iv) जिनके विरुद्ध कमजोर तबके के लोगों को डराने-धमकाने की शिकायत करें।
- v) जिनके द्वारा आम लोगों को डराने-धमकाने की प्रबल संभावना हो।

उक्त बिन्दु उदाहरण मात्र हैं, इनके अतिरिक्त चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी विधि के प्रावधानों के अनुसार जिन अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र जमा करना आवश्यक समझे, कर सकते हैं। चुनाव समाप्ति के 7 दिवस के अंदर शस्त्र (यदि अन्य कारण से सस्पेंड ना हो) अनुज्ञापत्र धारी को वापिस कर दिया जाए।

- 1.14 मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के आसपास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर चुनाव प्रचार की रोकथाम एवं मतगणना के समय मतगणना केन्द्र पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आयोग के निर्देश हैं कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को कोर्डलैस फोन, वायरलैस सैट, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स इत्यादि को लाने व उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के मतगणना स्थल पर प्रवेश को नियंत्रित करने वाली सीमा या सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी क्षेत्र के भीतर इस तरह के उपकरणों को लाने व उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उसे इस तरह के साधनों के साथ पाया जाता है तो सुरक्षा प्रभारी अधिकारियों द्वारा उन साधनों को जब्त कर लिया जाएगा। मतगणना समाप्ति तथा चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाने के पश्चात् ऐसे जब्त साधन संबंधित व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे।

2. यह निर्देश सामान्य (indicative) हैं, विस्तृत एवं अंतिम (Comprehensive and final) नहीं। अतः कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी वे समस्त कदम उठाएंगे जिससे चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण हों।

3. इन निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संभागीय आयुक्त व महानिरीक्षक/आयुक्त पुलिस का होगा। वे अपने-अपने संभाग में जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक की नियमित मीटिंग कर इन निर्देशों की पालना की समीक्षा करेंगे व जिला प्रशासन को उचित दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे। इन समीक्षा बैठकों में उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार समीक्षा की जावेगी। बैठक के कार्यवाही विवरण की एक प्रति आयोग को भी प्रेषित की जावे। यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक प्रत्येक जिले की कम से कम दो समीक्षा बैठके आयोजित की जायें।
4. आयोग के स्तर पर कानून व्यवस्था की निरंतर समीक्षा की जावेगी। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक सप्ताह संलग्न प्रपत्र LOR-I में जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस से सूचना प्राप्त कर अपनी समीक्षा टिप्पणी सहित माह की 7, 14, 21 व 28 तारीख को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करेंगे। यह सूचना चुनाव घोषणा होने की तिथि से चुनाव की समाप्ति तक भेजी जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त LOR में अपनी टिप्पणी अंकित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सूचना निर्धारित तिथि को सांय 6.00 बजे तक अपलोड कर दी जाये। साथ ही LOR की एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस की हस्ताक्षरित प्रति पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी मय हस्ताक्षर आयोग को ई-मेल के माध्यम से भी तत्समय भिजवाने की व्यवस्था करेंगे।

संलग्न : फॉर्म LOR-I

भवदीय,


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:- प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/5026-5031

दिनांक: 21/07/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(नीरज शर्मा)
सहायक सचिव

Weekly Law & Order Report for Districts for Electoral Events
MUNICIPAL/PANCHAYAT ELECTIONS, ...(Year)

To

1) District Election Officer (District Magistrate)

1) Start Date of these reports (DD/MM/YY)

2) Report for (DD/MM/YY)

Name of Police District :

Sr. No.	Item	Reporting Week	Cumulative from Start Date upto and Including Reporting Day
1	No. of Unlicensed arms/explosive seized		
	(a) Arms	(I) Fire arms	
		(II) Weapons (other than fire arms)	
	(b)	(1) Cartidges	
		(2) Explosives (in Kgs)	
		(3) Others, if any	
2	No. of illicit arms manufacturing centres raided and seizures made		
3	Licensed Arms (Para 1.13 of the instructions)	issued	
		Deposited	
		Impounded	
		Cancelled	
4	(a) No. of cases put up under praventive section of CrPC		
	(b) No. of persons bound down under preventive sections of CrPC		
5	Execution of non-bailable warrants	a) Executed	
		b) Pending	
6	No. of incidents of violence related to poll campaign etc.		
	(a) Total killed		
	(b) Total injured		
	(c) Damage to property (in Rs. Lakhs)		
	(d) No. of cases Registered		
	(e) No. of Accused Persons arrested		
7	(a) No. of incidents occurred under Atrocities Act 1989 during election		
	(b) No. of FIR's Registered		
	(c) No. of Accused Persons Arrested		
	(d) No. of Persons against whom action taken as per para 1.7 of the instructions		
8	Information regarding Vulnerable and sensitive areas		
	(a) No. of Villages/Mohalla identified as Vulnerables		
	(b) No. of persons identified as probable source of trouble		
	(c) Of which preventive action taken against		
9	Seized Liquor	Estimated value (in Rs.)	
	Comments by District Magistrate		Name & Signature of SP
			Name & Signature of DM